

UPSC CSE 2014 MAINS PAPER 6 DECEMBER 19, 2014 LAW OPTIONAL PAPER I QUESTION PAPER

CS (Main) Exam : 2014 वियोज्य DETACHABLE

292

विधि (प्रश्नपत्र I)

LAW (Paper I)

समय : तीन घण्टे

Time Allowed : Three Hours

अधिकतम अंक : 250

Maximum Marks : 250

## प्रश्नपत्र सम्बन्धी अनुदेश

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें।

कुल आठ (8) प्रश्न दो खंडों में दिए गए हैं तथा वह हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपे हुये हैं।

परीक्षार्थी को कुल पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न क्रमांक 1 एवं 5 अनिवार्य हैं। शेष प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम से कम एक प्रश्न चुनते हुए तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक प्रश्न के अंत में सूचित हैं।

प्रवेश-पत्र में प्राधिकृत माध्यम में उत्तर लिखना आवश्यक है तथा यह क्यूसीए (Question-cum-Answer) पुस्तिका में निर्दिष्ट जगह पर उल्लेख करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गये उत्तरों को अंक नहीं दिये जायेंगे।

प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किये गये शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए।

प्रश्नों के उत्तर क्रमिक विन्यास में गिने जायेंगे। नहीं काटे गए प्रश्न के उत्तर को भी गिनती में लिया जायेगा यद्यपि उसके उत्तर आंशिक रूप में दिए गए हों। उत्तर-पुस्तिका में कोई पन्ना या पन्ना के अंश अगर खाली हैं तो उसे/उन्हें स्पष्ट रूप से काट देना जरूरी है।

## QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are EIGHT questions divided into two SECTIONS and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question No. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE from each section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in chronological order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the answer book must be clearly struck off.



## खण्ड 'A' SECTION 'A'

1. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, जो प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में होने चाहिए :  
Answer the following (each answer should be in about 150 words) :
  - 1.(a) आपके विचार में हमारे संविधान का स्वरूप/प्रकृति क्या है — परिसंघीय, ऐकिक अथवा अर्ध-परिसंघीय ? प्रारूपण समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) के सदस्यों ने इसको परिसंघीय कहा है, परंतु अनेक अन्य इस अभिधान (टाइटल) का प्रतिवाद करेंगे। इस कथन का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए।  
What do you think is the form/nature of our Constitution — Federal, Unitary or Quasi-federal ? The Members of the Drafting Committee call it federal, but many others would dispute this title. Critically examine the statement. 10
  - 1.(b) 'संवैधानिकता' से क्या तात्पर्य है ? 'संवैधानिकता' से भारत की परियुक्ति (ट्रास्ट) और 'संवैधानिक शासन' के संदर्भ में, इस संकल्पना को, इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों में, स्पष्ट कीजिए।  
What is 'Constitutionalism' ? Explain the said concept both in its negative and positive aspects in the context of India's tryst with 'Constitutionalism' and 'Constitutional Governance'. 10
  - 1.(c) अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को, और विशेषकर उच्चतम न्यायालय को, मूल अधिकारों का संरक्षक, संरक्षी और निर्वचक बनाता है। यदि कोई विधि मूल अधिकार के असंगत हो, तो यह न्यायालयों को उस विधि को 'शून्य' (वौएड) घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है और साथ ही साथ ऐसा करने की बाध्यता अधिरोपित करता है। चर्चा कीजिए।  
Article 13 makes the judiciary, and especially the Apex Court, as a guardian, protector and the interpreter of the Fundamental Rights. It confers a power as well as imposes an obligation on the Courts to declare a law void if it is inconsistent with a Fundamental Right. Discuss. 10
  - 1.(d) उच्चतम न्यायालय की 'विशेष इजाजत अधिकारिता' की व्याप्ति को, जैसे कि उसने इसको प्रतिपादित किया है, स्पष्ट कीजिए।  
Explain the scope of the 'Special Leave Jurisdiction' of the Supreme Court as expounded by it. 10
  - 1.(e) 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। साथ ही भारत में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए।  
Examine the doctrine of separation of powers. Also mention the relevance of this doctrine in India. 10
  - 2.(a) 'उचित अवसर' की संकल्पना के 'पदावधि प्रसादपर्यन्त' के सिद्धांत पर एक संवैधानिक परिसीमा होने के नाते, संसद या राज्य विधान-मंडल 'उचित अवसर' की विषय-वस्तु की परिभाषा करते हुए और अभियुक्त सरकारी कर्मचारी को कथित अवसर प्रदान करने की कार्यविधि निर्धारित करते हुए, एक विधि का निर्माण कर सकता है। अग्रनिर्णयों का उल्लेख करते हुए इस संकल्पना को स्पष्ट कीजिए।  
The concept of 'Reasonable Opportunity' being a constitutional limitation on the doctrine of 'Tenure Pleasure', Parliament or State Legislature can make a law defining the content of 'Reasonable Opportunity' and prescribing procedure for affording the said opportunity to the accused government servant. Explain the concept with reference to leading cases. 20
  - 2.(b) 'दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार' के अर्थ को, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने पापानाशम श्रमिक संघ बनाम मदुरा कोट लिमिटेड (ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 2200) में उसका निर्वचन किया है, स्पष्ट कीजिए और पूरी तरह समझाइए। इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिए।  
Explain and elucidate the meaning of the 'Right to personal liberty' as interpreted by the Supreme Court in Papanasam Labour Union v. Madura Coat Ltd. AIR 1995 S.C. 2200. Analyse critically the guidelines prescribed by the Hon'ble Supreme Court in this respect. 15
  - 2.(c) शब्द 'लोक सेवक' की परिभाषा कीजिए। साथ ही भारत में लोक सेवकों की भर्ती की कार्यविधि पर चर्चा कीजिए।  
Define the term 'public servant'. Also discuss the recruitment procedure of public servants in India. 15
  - 3.(a) भारत में राष्ट्रपति और राज्यपालों की अध्यादेश-निर्माण-शक्ति की संवैधानिक व्याप्ति का परीक्षण कीजिए और सविस्तार स्पष्ट कीजिए।  
Examine and elucidate the constitutional scope of the Ordinance making power of the President and the Governors in India. 20
  - 3.(b) किसी पिछड़े वर्ग की पहचान केवल और अनन्य रूप से आर्थिक कसौटी के प्रमाण पर नहीं की जा सकती है। परंतु फिर भी, पिछड़ी जाति की पहचान व्यवसाय-व-आय के आधार पर, जाति की ओर देख बिना ही, की जा सकती है। राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों को 'पिछड़ा' और 'अधिक पिछड़ा' के रूप में श्रेणीबद्ध करने पर कोई संवैधानिक पाबंदी नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? कारण बताइए।



A backward class cannot be identified only and exclusively with reference to economic criterion. A backward class may, however, be identified on the basis of occupation-cum-income without any reference to caste. There is no constitutional bar in the State categorising the backward classes as 'backward' and 'more backward'. Do you agree with the statement? Give reasons. 15

- 3.(c) 'लोक हित मुकदमेबाजी' से क्या तात्पर्य है? मुकदमेबाजी के इस रूप के क्या प्रमुख पक्ष हैं? साथ ही इस प्रकार की मुकदमेबाजी की परिसीमाओं पर चर्चा कीजिए।

What is 'Public Interest Litigation'? What are the major facets of this form of litigation? Also discuss the limitations of this type of litigation. 15

- 4.(a) 'संविधानी शक्ति', 'संशोधनकारी शक्ति' और 'विधायी शक्ति' की परिभाषा कीजिए और उनके बीच विभेदन कीजिए। उदाहरण पेश कीजिए।

Define and distinguish between 'Constituent power', 'Amending power' and 'Legislative power'. Give illustrations. 20

- 4.(b) क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि "सभी मानव अधिकार भारत के संविधान द्वारा संरक्षित और मान्यताप्राप्त मूल अधिकार हैं।" कानूनी उपबंधों और निर्णयजन्य विधि का उल्लेख करते हुए, इस पर चर्चा कीजिए।

Do you agree with the statement that "all human rights are fundamental rights protected and recognised by the Constitution of India". Discuss with reference to statutory provisions and case laws. 15

- 4.(c) जैसे कि वे भारत के संविधान में दिए गए हैं, मूल कर्तव्य गिनाइए। साथ ही, कालांतर में भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किए जाने के पीछे के तर्काधार पर चर्चा कीजिए।

Enumerate the fundamental duties as provided in the Constitution of India. Also discuss the rationale behind the incorporation of fundamental duties in the Constitution of India later on. 15

### खण्ड 'B' SECTION 'B'

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक के उत्तर दीजिए, जो प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में हों :

Answer the following (each answer should be in about 150 words) :

- 5.(a) अंतर्राष्ट्रीय विधि के आरंभ को चिह्नित करने के लिए इतिहास में किसी परिशुद्ध तारीख या काल को नियत करना असंभव है क्योंकि आरंभ रिकार्ड किए इतिहास से पूर्व का है। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय समाज में अंतर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास, प्रकृति, व्याप्ति और प्रासंगिकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

It is impossible to fix a precise date or period in history to mark the beginning of International Law as it predates recorded history. Critically examine the history, nature, scope and relevance of International Law in Contemporary International Society. 10

- 5.(b) किसी राज्य द्वारा घमंडवश अधिकारिता (ज्यूरिसडिक्शन) स्वतः ग्रहण कर लेने पर भी, अंतर्राष्ट्रीय विधि उस पर अत्यंत कम या शून्य परिसीमा नियत करती है। 'राज्य अधिकारिता' की प्रकृति और व्याप्ति (स्कोप) स्पष्ट कीजिए। 'राज्य-अधिकारिता' के सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए।

International Law sets little or no limitation on the jurisdiction which a particular State may arrogate to itself. Explain the nature and scope of 'State Jurisdiction'. Critically examine the principles of 'State Jurisdiction'. 10

- 5.(c) "मान्यता मांगने वाली सत्ता पर, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन मान्यता मिल जाना उस सत्ता को राज्य की विधिक हैसियत प्रदान कर देती है। मान्यता से महत्वपूर्ण विधिक प्रभाव प्राप्त किये जा रहे हैं।" इस कथन का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए। Recognition confers the legal status of a State under International Law upon the entity seeking recognition. Important legal effects are being derived from recognition. Critically examine the statement. 10

- 5.(d) अंतर्राष्ट्रीय संधियां राज्यों या राज्य संगठनों के बीच संविदात्मक प्रकृति के करार होते हैं, जो पक्षों के बीच विधिक अधिकारों और बाध्यताओं (ऑब्लिगेशन्स) को जन्म देते हैं। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधियों के बढ़ते हुए महत्व को स्पष्ट कीजिए।

International Treaties are agreement of contractual character between States or organisation of States creating legal rights and obligations between the parties. Examine the statement critically and explain the growing importance of Treaties in Modern International Law. 10



- 5.(e) आप संकल्पना 'राजनयिक उन्मुक्ति' से क्या समझते हैं ? इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन क्या प्रावधान प्रदान किए गए हैं ? चर्चा कीजिए ।  
What do you understand by the concept 'Diplomatic Immunity'. What rules are provided under International Law in this respect. Discuss. 10
- 6.(a) 'अंतर्राष्ट्रीय मानवहितवादी विधि' की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए । इसको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ? आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानवहितवादी विधि के विकास में 'हेग' और 'जेनेवा' अभिसमयो (कन्वेंशन्स) की भूमिका का समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए ।  
Explain the concept of 'International Humanitarian Law'. How can it be achieved ? Critically examine the role of 'The Hague' and 'The Geneva Convention' in the development of Modern International Humanitarian Law. 20
- 6.(b) "अनेक पहलुओं में 'ट्रिप्स' करार पारंपरिक 'गैट' उपागम से आगे निकल जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विधि का और ज्यादा विकास करता है ।" बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पक्षों पर करारों (ट्रिप्स) की महत्वपूर्ण उपलब्धि की परीक्षा कीजिए ।  
'In several respects the TRIPS Agreement goes beyond the traditional GATT approach and further develops the law of International Trade'. Examine the important achievement of the Agreements on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. (TRIPS). 15
- 6.(c) 'मत्स्य क्षेत्र' से क्या तात्पर्य है ? यह 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' से किस प्रकार भिन्न है ? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि 'तटवर्ती राज्य की अपने भूभागीय समुद्र के निकट महासमुद्र (हाई सी) के किसी भी क्षेत्र में जीवित संसाधनों की उत्पादकता के अनुरक्षण में विशेष रुचि होती है' । सविस्तार स्पष्ट कीजिए ।  
What is 'fishery zone' ? How it is different from 'Exclusive Economic Zone' ? Do you agree with the statement that 'a coastal state has a special interest in the maintenance of the productivity of the living resources in any area of the high seas adjacent to its territorial sea'. Elucidate. 15
- 7.(a) 'विश्व व्यापार संगठन' के उद्देश्य, संरचना और प्रकार्य क्या हैं ? क्या डब्ल्यू.टी.ओ. पर हस्ताक्षर करना और अनुसमर्थन करना (रैटिफाइंग) भारत की संसदीय स्वायत्तता को क्षति पहुँचाता है ? चर्चा कीजिए ।  
What are the objectives, structure and functioning of World Trade Organisation ? Does signing and ratifying WTO undermine the Parliamentary Autonomy of India ? Discuss. 20
- 7.(b) वायुक्षेत्र (एयर स्पेस) पर संप्रभुता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए । बाह्य अंतरिक्ष (आउटर स्पेस) के उपयोग और दुरुपयोग के विधिक नियंत्रण की गुंजाइश का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।  
Trace the development of International Law relating to sovereignty over air-space. Critically examine the scope of legal control of use and abuse of outer space. 15
- 7.(c) 'मध्यक्षेप' (इंटरवेंशन) की परिभाषा कीजिए और उन आधारों का उल्लेख कीजिए जिनके अधीन यह न्यायोचित होता है । अंतर्राष्ट्रीय विधि के इस सिद्धांत के उल्लंघनों पर भी प्रकाश डालिए ।  
Define intervention and mention the grounds under which it is justified. Also throw light on the violations of this principle of International Law. 15
- 8.(a) "जब प्रत्यर्पण (एक्स्ट्राडिशन) आरंभ हो जाता है, तब शरण (ऐसाइलम) को विराम लगता है ।" टिप्पणी कीजिए । साथ ही अग्रणी केसों के उल्लेख के साथ प्रत्यर्पण के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए ।  
"Asylum stops as it were when extradition begins". Comment. Also explain the various principles of extradition with reference to leading cases. 20
- 8.(b) अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि (म्यूनिसिपल लॉ) के बीच संबंध के संदर्भ में, विरुद्धता (अपोज़ेबिलिटी) की संकल्पना की परिभाषा कीजिए । साथ ही, भारत के विशेष उल्लेख के साथ, आधुनिक काल में, इस संकल्पना की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए ।  
Define the concept of 'opposability' in the context of relationship between International Law and Municipal Law. Also discuss the relevance of this concept in modern times with special reference to India. 15
- 8.(c) समुद्र की विधि पर सं.रा. (यू.एन.) अभिसमय 1982 के अधीन 'बेस लाइन' का क्या महत्व और अर्थ है ? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?  
What is the importance and meaning of 'Base Line' under UN convention on Law of Sea 1982 ? How is it determined ? 15